

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/412

कस्तूरा आत्मज हरनाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
—अपीलाथी

बनाम

Judl/Govt.
Partt 1V - B

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

अपील नैनवा जिला बून्दी ।
बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

—अपीलाथी

वाद संख्या: 09/दावा/2014

कस्तूरा आत्मज हरनाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
—वादी
—प्रत्यर्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

—प्रतिवादी

वाद संख्या: 09/दावा/2014




—वादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 01.10.2018 को बहाजरी अपीलान्त की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनपांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं ।

यह डिक्री आज तारीख 01.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर


1/10/18

(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मुहर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/412

कस्तूरा आत्मज हरनाथ जी जाति मीणा निवासी ग्राम उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी।
 ---अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
 2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 01.10.2018


1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरुद्ध पेश की गई हैं ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उगेन तहसील नैनवा आराजी खसरा नम्बर नई 305 व पुरानी 238 मिन रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि दिनांक 30.11.1978 को वादी को नियमन हुई थी । वादी इस भूमि पर वर्ष 1965 से ही निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि पर वर्ष 1978 में वादी को गैर खातेदारी अधिकार दिये गये थे । वादी नियमानुसार 12 वर्ष की अवधि गुजर जाने के बाद उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वादी को गैर खातेदारी से 35 वर्ष की अवधि गुजर जाने के बाद भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं ।
3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर नया 305 व पुराना 238 मिन रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा का वादी को गैर खातेदार कृषक से खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।



5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलान्ति निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ति ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलान्ति निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । अपीलान्ति को लोक अदालत में उपस्थित होने से के सम्बन्ध में कोई नोटिस ही प्रदान नहीं किया गया था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ति की अनुपस्थित दर्ज कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । पत्रावली लम्बे समय से जवाब वास्ते सरकार में लम्बित थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ति स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।
6. अपीलान्ति ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ति को बिना सूचना व जानकारी के उक्त अपीलान्ति निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ति को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.05.2018 को वकील साहब से मिलने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
7. अपील अपीलान्ति सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्ति के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ति को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ति की अनुपस्थिति दर्ज कर गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वाद खारिज कर दिया । पत्रावली लम्बे समय से जवाब वास्ते सरकार में लम्बित थी । वादग्रस्त आराजी दिनांक 30.11.1978 को नियमन की गई । बाद नियमन उक्त आराजी अपीलान्ति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई । तब से ही अपीलान्ति बहैसियत मालिक निरन्तर नियमन वाली आराजी पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है । उक्त भूमि अपीलान्ति के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ति ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया है । यदि अपीलान्ति उपस्थित नहीं था तो अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ति स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।
9. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ति वादग्रस्त आराजी वर्ष 1978 में नियमन किया जाना बताते हैं । वादी अपीलान्ति ने अधीनस्थ न्यायालय में हक, घोषणा का दावा पेश किया है परन्तु उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं । वादग्रस्त सरकारी सिवायचक भूमि है जिस पर खातेदारी

अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
11. पत्रावली में अपीलान्ट की ओर से जो नकल जमाबन्दी पेश की गई है उसके अनुसार खसरा नम्बर 305/1 की एक बीघा आराजी उनके गैर खातेदारी में दर्ज है और तहसीलदार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें यह कथन किया गया है कि वादी के खाते में खसरा नम्बर 305 की 01 बीघा आराजी दर्ज थी जो उनको नियमन हुई थी । अपीलान्ट वादी ने दावे में यह कथन किया है कि उनको 03 बीघा 10 बिस्वा आराजी नियमन हुई थी परन्तु 03 बीघा 10 बिस्वा आराजी के नियमन के बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं और नामान्तरकरण संख्या 33 की जो प्रमाणित प्रति पेश की गई है उसके अनुसार भी नियमन आदेश दिनांक 30.11.1978 से 01 बीघा आराजी की गैर खातेदारी स्वीकृत की गई है । तहसीलदार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो जवाब पेश किया गया है उसके अनुसार 01 बीघा आराजी वादी अपीलान्ट को नियमन हुई थी और वही उनके खाते में दर्ज है । वादी अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें 03 बीघा 10 बिस्वा आराजी का नियमन हुआ था उसे अपीलान्ट ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।
12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनपांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है ।
13. निर्णय आज दिनांक 01.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा